5

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 162654 दिनांक:- 11/09/13

ग्रा0वि0 3/स्था0-1-20/12

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव ।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
लखीसराय ।

विषय:- प्रखंड विकास पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा के पद पर पदस्थापन के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 874 दिनांक 26.08.13 के प्रसंग में कहना है कि विभिन्न विभागीय पत्रों द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग को सौंपे जाने अथवा पैतृक विभाग को सेवा वापसी के फलस्वरूप हुयी रिक्तियों का प्रभार स्थानीय व्यवस्था के तहत प्रभार सौंपे जाने के संबंध में विभागीय पत्रांक 156074 दिनांक 17.07.13 द्वारा आवश्यक निदेश दिया जा चुका है । सुलभ प्रसंग हेतु उक्त पत्र की प्रति संलग्न है ।

अत: अनुरोध है कि उक्त पत्र के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करते हुए श्री राजीव मोहन सहाय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, सूर्यगढ़ा को सामान्य प्रशासन विभाग में योगदान देने हेतु अविलंब विरमित करने की कृपा की जाय तथा इसकी सूचना विभाग को अवश्य दी जाय ।

विश्वासभाजन,

अनु0-यथोक्त ।

11.9.13

(कृष्ण कुमार सिन्हा)
सरकार के अवर सचिव

आवेदन सं- 4672

-60

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक :- 156074 दिनांक :- 17/07/13
ग्रा0वि0-3/स्था.1-06/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार ।

विषय:- **स्थानीय व्यवस्था के तहत प्रखंड विकास पदाधिकारी का प्रभार सौंपने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना सं0-151981 दिनांक 13.06.13, अधिसूचना सं0-151985 दिनांक 13.06.13, अधिसूचना सं0-151976 दिनांक 13.06.13, अधिसूचना सं0-133626 दिनांक 28.06.13 एवं अधिसूचना सं0-153628 दिनांक 28.06.13 द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारियों का स्थानांतरण आदेश निर्गत किया गया है जिसमें जिला पदाधिकारियों को यह निदेश दिया गया है कि स्थानांतरण के फलस्वरूप हुई रिक्तियों का प्रभार ऐसे प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया जाए जिसका पदस्थापन 30.06.10 के बाद हुआ हो ।

2. ऐसा आदेश निर्गत करते समय अवधारणा यह थी कि उक्त अवधि के पूर्व कार्यरत पदाधिकारियों का सामान्य स्थानांतरण किया जाएगा एवं रिक्तियों को पूर्ण रूप से भरा जा सकेगा किंतु सामान्य स्थानांतरण नहीं किया गया है ।

3. तदनुसार इन अधिसूचनाओं के उक्त भाग को विलोपित किया जाता है एवं जिला पदाधिकारियों को इस हेतु पूर्णतः अधिकृत किया जाता है कि वे अपनी सुविधानुसार प्रखंडों में 30.06.10 के बाद से भी पदस्थापित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को सुविधानुसार प्रभार दिलाया जा सकता है ।

विश्वासभाजन,
15.7.13
(अमृत लाल मीणा)
सचिव